5/8/2024 | पत्रावली पेश हुई। बहस 34.। बहस दावा की कानूनी संख्या- 02 पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता/प्रतिवादी वकील की ओर से कथन रहे कि वादी लाल सिंह की ओर से वादी वकील द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 RTA के तहत पेश किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा कहा गया कि पत्रावली मे दिनांक 28/03/2016 को तनकी कायम की गई। तनकी संख्या 02 पर प्रतिवादी वकील की आपत्ति है जो जिसमें प्रतिवादी है। तनकी संख्या 02 के अनुसार वादीगण के पिता के हिस्सा की आराजी का उनके द्वारा बेचान करने पर भी दावा मात्र परेशान करने की नियत से पेश किया जो काबिल खारिजी के है। वादी के पिता द्वारा बयनामा दिनांक 21.05.1980 को ~~समझौ~~ वादी के पिता रामजीलाल द्वारा क्रेता छोटे पुत्र मुल्तान जाति जाटव निवासी बहरामदा के हक मे किया गया। जो प्रतिवादी संख्या 11 लगायत जो 14 के पिता के रूप मे है। दावा वादी मे खसरा नम्बर 653, 654 वाके ग्राम बहरामदा तहसील नदबई मे स्थित है परन्तु वादी का विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है और न ही [illegible] है तथा न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 19:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]
नदबई (भरत[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वह सहखातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है। इसलिए वह विवादित आराजी का बंटवारा कराने हेतु का अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी पर वादी का गलत अंकन हो गया है। जिसके इन्द्राजात को दुरुस्त करने बाबत् न्यायालय में दावा पेश किया गया था। हाल खसरा नम्बरान खसरा नम्बर 535, 676, 677 साबिक खसरा नम्बर 535 से तथा 675 साबिक खसरा नम्बर 536 से तथा हाल खसरा नम्बर 653, 654 साबिक खसरा नम्बर 539 से बने है। खसरा नम्बर 535, 536 पर हम प्रतिवादीगण के पिता रूगानी 1/4 हिस्से के एवं वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 के बाबा रामजीलाल 1/4 हिस्से के रिकॉर्ड काबिज खातेदार काश्तकार थे। इसी प्रकार खसरा नम्बर 539 पर हम प्रतिवादीगण के पिता रूगानी 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पिता तथा प्रति. सं. 6 लगायत 10 के बाबा रामजीलाल 1/2 हिस्से के रिकॉर्ड काबिज खातेदार काश्तकार थे। वादी के पिता रामजीलाल द्वारा जरिये बयनामा अपने हिस्से की आराजी का विक्रय कर दिया। जिसका दाखिला खारिज भी क्रेता के हक में कर दिया। जमाबंदी संवत 2038 2041 में प्रतिवादीगण के पिता रूगानी के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 के बाबा रामजीलाल का भी अंकन हो गया। इन खसरा नम्बरान पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। तथा विवादित

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजीयात का बंटवारा हो चुका है अतः दावा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें। वादी अप्रार्थी वकील की ओर से कथन रहे कि दिनांक 21.05.1980 से वादी द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने की बात गलत है। वादी खसरा नम्बर 535 व 536 पर 1/16 हिस्से पर काबिज है तथा खसरा नम्बर 539 पर 1/8 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक रिकॉर्ड सहखातेदार एवं काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विभाजन करा पाने के अधिकारी है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रतिवादीगण की तनकी संख्या 02 उनके विरुद्ध तय की जाने की कृपा करें। हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागणों की बहस को सुना। उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि बयनामा दिनांक 21.05.1980 वादी के हिस्से की आराजी का बेचान हो चुका है। जिसका दाखिला खारिज हो चुका है। वादी का नाम केवल गलत इन्द्राजात होने के कारण जमाबंदी में दर्ज है। वादी के हिस्से की आराजी का बेचान हो चुका है। विवादित आराजीयात घर में वादी के हिस्से पर विभाजन हेतु दावा स्वीकार योग्य नहीं है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः तनकी संख्या 02 प्रतिवादी के हक में बखूबी साबित है। वादी की आराजी प्रात का बेचान होने के कारण तनकी संख्या 02 पर आपत्ति स्वीकार की जाती है। वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। दावा अन्तर्गत धारा 53,188 RTA के तहत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner